न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 III / निगरानी / मुरैना / भू0रा0 / 2017 / 3727

बाबूलाल पुत्र डरूआ जाति किरार ठाकुर निवासी ग्राम रानीपुरा तह0 जौरा जिला मुरैना ....आवेदक

बनाम

1--श्रीराम पुत्र सूखा जाति धोबी

2--शैलेन्द्र कुमार पुत्र मौतीलाल जाति वैश्य

3--मौतीलाल पुत्र जगन्नाथ

निवासी ग्राम पहाडगढ तहसील जौरा जिला मुरैना म0प्र0

........................अनावेदक

आज दि. 6.10.17

6.10.17

प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 16-10-17 नियत।

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 31 / 08 / 2017 न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के प्र0क0 403 / 16--17 अपील / निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू--राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है --

1-- यह कि अनावेदक गण द्वारा कलेक्टर महोदय मुरैना के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की कि ग्राम गोपाल पुरा तह0 जौरा जिला मुरैना स्थित पुराने सर्वे क0 246 व 248 बन्दोबस्त उपरान्त नवीन सर्वे नम्बर 17, 18, व 19 के अक्स में बन्दोबस्त के दौरान हुई त्रुटि को सुधार किया जावे।

2-- यह कि अनावेदक के उक्त आवेदन पत्र पर से कलेक्टर महोदय मुरैना द्वारा प्र0 क0 34 / 2000--01 अपील पर पंजीबद्व किया जाकर पारित आदेश दिनांक 12 / 01 / 2001 द्वारा नक्शे निर्माण में त्रुटि होना पाते हुए साविक के मान से सुधार किये जाने के आदेश दिया गया।

3-- यह कि आवेदक द्वारा कलेक्टर महोदय मुरैना के आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्र0क0 107 / 2000--01 अपील पर पंजीबद्व किया जाकर पारित आदेश दिनांक 14 / 08 / 2002 द्वारा आवेदक की अपील स्वीकार की जाकर कलेक्टर महोदय मुरैना का आदेश दिनांक 12 / 01 / 2001 निरस्त किया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / मुरैना / भू0राज0 / 2017 / 3727

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9 –11–2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन किया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त पहाड़गढ द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की जांच मौजा पटवारी के साथ स्थपर पर ग्राम पंचान एवं उभय पक्षकारान के समक्ष की जाकर प्रस्तुत प्रतिवेदन प्राप्त किया। अपर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी जौरा के आधार पर कलेक्टर मुरैना ने आदेश दिनांक 12–5–2017 के द्वारा नक्शे में संशोधन के आदेश दिये हैं। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में विस्तृत विवेचना कर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को उचित मानकर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	